न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—408/2021 तारीख रजु 10.12.2021

जीसीएमएस आई0डी0ः—2021/584

दयाराम पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

——सायल

बनाम

1. यादराम पुत्र रामसिंह } जाति गुर्जर निवासी कांदरौली
2. चतरसिंह पुत्र संतोका } तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी
4. सब रजिस्ट्रार श्रीमहावीरजी जिला करौली

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री पी. एल गोयल वकील सायलान

2. श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन गैरसायलान

निर्णय दिनांक 8-5-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खसरा न0 562 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 835 रकबा 0.28 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली है।

मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र की भूमि मे सायल का 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, एवं उक्त आराजीयात में गैरसायल न0 3 का 3/16 हिस्सा एवं गैरसायल न0 4 का 3/16 हिस्सा, गैरसायल न0 5 शिवसिंह का 3/16 हिस्सा, गैरसायल न0 6 संतोका 3/16 हिस्से के खातेदार, काश्तकार है। गैरसायल न0 2 का उक्त आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

सायल एवं गैरसायल नं० 1 की माताजी दानकौर पत्नि रामसिंह का दिनांक 14.10.2018 को स्वर्गवास हो गया था, जिनके विधिक वारिस सायल एवं गैरसायल नं० 1 है। दानकौर का विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है, इसके हिस्से की भूमि पर सायल एवं गैरसायल नं० 1 काबिज व दखिल है। इसलिये सायल एवं गैरसायल नं. 1 दानकौर पत्नि [illegible] की भूमि के बहिस्सा बराबर अर्थात 1/24 1/24 हिस्से की [illegible] कराने के कानूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

मुतजिक्रा मद नं० 2 प्रार्थनापत्र की भूमि का सायल एवं गैरसायल नं० 1 एवं गैरसायल नं० 3 ता 6 के मध्य विधिवत बटवारा नहीं हुआ है सायल एवं गैरसायल नं० 1 व गैरसायल नं० 3 ता 6 ने उक्त आराजीयात का मनबटनी के हिसाब से बाहामी बटवारा कर रखा है। इसलिये फसल दरोह करते समय सायल एवं गैरसायल नं० 1 व 3 ता 6 के मध्य डोल–मेढ को लेकर आपसी तनाजा रहता है।

बांका दिनांक 05.12.2021 समय करीब सुबह करीब 9 बजे की बात है कि सायल अपने हिस्से की भूमि की देखरेख करने गया था, तो वहाँ पर गैरसायल नं० 1 व 2 आ गये, और गैरसायल नं0 1 ने कहा कि मैं इस जमीन को गैरसायल नं0 2 एवं अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर इनके हक में वयनामा कराऊँगा। एवं गैरसायल नं0 2 ने कहा कि मैं इस जमीन को खरीदकर इस पर कब्जा करके रहूँगा। इस पर सायल ने गैरसायल नं० 1 से हाथ जोडकर कहा कि भाईयों इस जमीन का अभी विधिवत बटवारा नहीं हुआ है. इसलिये पहले तहसील में चलकर विधिवत बटवारा करा लो, तथा गैरसायल नं० 1 ने बटवारा कराने से इंकार कर दिया, और कहा कि मैं तो बिना बटवारा कराये ही भूमि को विक्रय करके रहूँगा, तुमसे बने सो कर लेना एवं गैरसायल नं० 2 ने कहा कि मैं उक्त जमीन को खरीद करूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ज्यादा कुछ कहा तो तेरे हाथ पैर तोड देंगें। और जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे। सायल ने गैरसायल सं. 1 से उक्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने के लिये कहा तो गैरसायल सं. 1 साफ इंकार कर दिया एवं गैरसायल नं० 2 बिना बटवारा कराये ही जमीन को खरीदने पर आमादा है, एवं जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है, गैरसायल नं० 1 ने सायल से ऐलानियां धमकी दी मै जमीन पर जबरन कब्जा करके रहूँगा। सायल एवं गैरसायल नं० 1 व 2 को गाँव के अन्य लोगो द्वारा काफी समझा मगर ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिये सायलान को यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतूलन बखूबी सायल के पक्ष में साबित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 562 रकवा 0.01 है०,

खसरा नम्बर 835 रकवा 0.28 है, कुल किता–2 कुल करवा 0.29 है० स्थित ग्राम कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी में सायल के कब्जेकाश्त मे कोई दखलअंदाजी किसी प्रकार की नही करे तथा भूमि पर जबरन लटद् के बल पर कब्जा नहीं करे एवं सायल को उक्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, तथा किसी गैरसायल नं० 1 बिना बटवारा कराये भूमि को दीगर लोगो को रहन वय नहीं करें, तथा सायल को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में मजामहत मदाखलत न तो स्वयं पैदा करे न ही किसी अन्य से करावे, तथा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूको पर कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे। तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 2 की ओर से श्री पुष्पेन्द्र जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल न0 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 18.02.2025 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, गैरसायल न0 1 व 2 व अधिवक्ता को बार बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी जबाब पेश नहीं किया। आदेशिका दिनांक 18.02.2025 से जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 153 वाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 562 रकवा 0.01 है०, खसरा नम्बर 835 रकवा 0.28 है, कुल किता–2 कुल करवा 0.29 है० स्थित ग्राम कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी में सायल के कब्जेकाश्त मे कोई दखलअंदाजी किसी प्रकार की नही करे तथा भूमि पर जबरन लटद् के बल पर कब्जा नहीं करे एवं सायल को उक्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, तथा किसी गैरसायल नं० 1 बिना बटवारा कराये भूमि को दीगर लोगो को रहन वय नहीं करें, तथा सायल को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में मजामहत मदाखलत न तो स्वयं पैदा करे न ही किसी अन्य से करावे, तथा तथा ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Heeraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

कार्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूको पर कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे। तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 153 वाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान व गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 10.12.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 562, 835 वाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 8-4-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

8/4/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested